

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार गडरारोड़, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल

107/2019

गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये

बनाम

श्री. बसाया पुत्र पन्नापुर

पटवारी हल्का

चेतरोड़ी

जाति: पन्नापुर

निवासी: गेटवारी की 01

तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर।

निर्णय

पन्नावली आज बमुकाम गडरारोड़ में पेश हुई गैरसायल की उप./अनु. । पन्नावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चेतरोड़ी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम गेटवारी की 01 खसरा नम्बर 1952/1817 रकबा 24+8 बीघा में से 06.00 बीघा किस्म धिया राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त राजकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि रुपये 50 अक्षर पन्नापुर रुपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू अभिलेख गडरारोड़ को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त फसल निलाभी फर्द वास्ते अनुमोदनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करे। पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करें। पन्नावली टी.आर.ए. को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 05/11/19 को सरेआम सुनाया गया।

तहसीलदार गडरारोड़

जुमाना 50/ फसल नि. 400/-
कुल योग 450/- राज. के पृष्ठ सं. 20
वर्ष 1919 में इन्द्राज किया गया :